

प्रेस विज्ञप्ति

प्राधिकरण द्वारा नौएडा क्षेत्र के ग्रामों में निर्मित सामुदायिक केन्द्र के बुकिंग शुल्क के संबंध में ग्रामवासियों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर व्यक्त किए जा रहे असन्तोष का निराकरण करने हेतु माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा नौएडा के उच्चाधिकारियों से समय-समय पर की गई वार्ताओं में उठाये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया ने नौएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों के बुकिंग शुल्क को पुनर्निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है । बुकिंग शुल्क पहले जहाँ एक दिन (24 घण्टे) के लिए रूपये 7500/- 12 घण्टे के लिए रूपये 5000/- तथा 8 घण्टे के लिए रूपये 2500/- निर्धारित था, वहीं अब एक दिन (24 घण्टे) के लिए रूपये 3100/- 12 घण्टे के लिए रूपये 2500/- तथा 8 घण्टे के लिए रूपये 2100/- कर दिया गया है, पहले जहाँ संबंधित ग्राम के मूलनिवासियों के अतिरिक्त अन्य निवासियों के लिए रूपये 1000/- अधिक धनराशि देय थी वहीं अब रूपये 800/- निर्धारित की गई है । पहले अन्त्योदय कार्ड धारकों को अन्य ग्राम वासियों की तरह बुकिंग शुल्क देना होता था, लेकिन अब अन्त्योदय कार्ड धारकों के लिए सामुदायिक केन्द्र की बुकिंग निःशुल्क होगी । इसके अतिरिक्त पहले बुकिंग शुल्क में GST का कोई उल्लेख नहीं था, अब जो भी बुकिंग शुल्क निर्धारित किया गया है उसमें GST सम्मिलित है अर्थात GST धनराशि अलग से देय नहीं होगी ।

निम्नलिखित वैण्डिंग जोन में आंवटन हेतु स्थान उपलब्ध है।

वैण्डिंग जोन संख्या	उपलब्ध स्थान/डाले गये आवेदको का स्थान जहा सत्यापन किया गया है।	चिन्हित स्थान
11	कुल स्थान-67 सैक्टर 31 के 51 सैक्टर 32 के 16	चौराहा सैक्टर-31,36,30,37 से गेट नं0.-1, सैक्टर-36
12	कुल स्थान-26 सैक्टर-25 के 26	शशी चौक से गेट संख्या-1, सैक्टर-39
13	कुल स्थान-61 सैक्टर-19 के 53 सैक्टर-21 के 08	सैक्टर-39, गेट संख्या-1 से रेड लाईट
14	कुल स्थान-45 सैक्टर-20 के 21 सैक्टर-26 के 24	रेड लाईट सैक्टर-39 से डी0एस0सी रोड
15	कुल स्थान-9 सैक्टर-32ए व 33 के 9	डी0एस0सी रोड से सैक्टर-39 रेड लाईट गोल्ड कोर्स बाउन्ड्री के साथ
16	कुल स्थान-87 सैक्टर-27 के 87	सैक्टर-39 रेड लाईट से शशी चौक गोल्फ कोर्स बाउन्ड्री के साथ
कुल योग	295/295	

2. संबंधित ग्राम के मूल निवासी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति सामुदायिक केन्द्र आरक्षित कराता है तो उससे निर्धारित शुल्क के साथ अतिरिक्त रूपये 800/- (दो सौ साइत) अतिरिक्त रूप से लिया जायेगा।

3. महाप्रबंधक (आर/के) अपने अधीनस्थ वर्क सर्किलों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण सामुदायिक केन्द्रों में पर्यवेक्षक की उपलब्धता के संबंध में एक समय सारिणी तैयार करेंगे ताकि वर्क सर्किलों द्वारा सामुदायिक केन्द्र के रख-रखाव एवं आरक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक तदनुसार सामुदायिक केन्द्रों में कार्य करें।

4. पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह नियत समय पर बुकिंग हेतु सामुदायिक केन्द्र में उपलब्ध रहे तथा बुकिंग का विवरण सामुदायिक केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर बुकिंग करने के साथ-साथ अंकित कराये।

... 2000/- सिक्योरिटी भी जमा करवाई





